

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर
क्रमांक:-नर्सिंग/न.आ/उदयपुर जोन/26506/2024/ दिनांक:-

आदेश

श्रीमती प्रमिला मईडा, नर्सिंग ऑफिसर (परिवीक्षाधीन), उप जिला चिकित्सालय, बागीदौरा का उनकी स्वयं की प्रार्थना दिनांक 28.01.2018 से 23.05.2018 तक कुल 116 दिवस का असाधारण अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.1(2)FD/Rules/2006-I दिनांक 25.10.2019 के बिन्दु संख्या 03 के अनुसरण में 30 दिवस से अधिक अवकाश उपभोग पर कार्मिका के परिवीक्षाकाल में असाधारण अवकाश की सीमा तक अभिवृद्धि की जावेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/न.आ/उदयपुर जोन/26506/2024/109 दिनांक:- 09-05-2024
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय को उनकी आई.डी दिनांक 03.05.2024 के क्रम में।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को उनकी आईडी दिनांक 25.03.2024. के क्रम में।
- संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) जयपुर, राजस्थान।
- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन-उदयपुर।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा।
- प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बागीदौरा जिला बांसवाड़ा।
- संबंधित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी, सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करें।
- आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
Signature valid

RajKaj Ref
7003060



Digitally signed by Rakesh Kumar
Sharma
Designation : Director
Date: 2024.05.09 12:31:46 IST
Reason: Approved